उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010
लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा संगठनों की मांगों एवं समस्याओं पर विचार करने हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
(4) मण्डलायुक्त, लखनऊ	सदस्य

2. उक्त समिति कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सार्थक रूप से विचार–विमर्श कर अपनी सुविचारित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी ।

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या–2–ई.एम./2009(1)–का–4–2010, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,
(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव